

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०-2/वि०चि०पदा०-175/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक :

डा० अर्चना कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग), सदर अस्पताल, मोतिहारी द्वारा द्वितीय संतान के प्रसव हेतु दिनांक-24.06.2024 से 20.12.2024 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में मातृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/वि०चि०पदा०-175/2024- 1362(2) पटना, दिनांक : 11/8/25

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अंसैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण/अधीक्षक, सदर अस्पताल, मोतिहारी/डा० अर्चना कुमारी, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग), सदर अस्पताल, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।